बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एजुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन हेतु निर्गत संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007–204 दिनांक 19.06.2008 की कंडिका–8 एवं 11 में संशोधन।

राज्य में नियोजित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में पूर्व सेवा कालीन दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/2007– 204 दिनांक 19.06.2008 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 10 में विभागीय पत्रांक 463 दिनांक 12.09.2013 द्वारा संशोधन किया गया। तदनुसार राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2013–15 में नामांकन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से नामांकन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प संख्या 12/प्रशिक्षण–89/2007– 204 दिनांक 19.06.2008 की कंडिका 8 एवं 11 में अंकित शर्तों में विरोधाभास के कारण सभी प्रशिक्षण संस्थानों में शत–प्रतिशत नामांकन संभव नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण कंडिका 8 एवं 11 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इन संस्थानों में नामांकन राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण एवं सरकारी मध्य विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के लिए नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों/अभ्यर्थियों का किया जाना है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प संख्या 204 दिनांक–19.06.2008 की कंडिका 8 में अंकित–

"बचे हुए सीट का पचास प्रतिशत विज्ञान तथा पचास प्रतिशत कला/वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा" को विलोपित किया जाता है।

3. मार्गदर्शिका की कंडिका 11 "उम्र सीमा– नामांकन हेतु उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 34 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निःशक्त अभ्यर्थी को 5 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए दो वर्ष तथा महिला अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़ कर) के लिए अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जायेगी"। इस कंडिका को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है–

"उम्र सीमा– नामांकन हेतु उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होगी"।

4. भविष्य में मार्गदर्शिका संशोधन हेतु शिक्षा विभाग सक्षम होगा।
5. मार्गदर्शिका की संकल्प संख्या–12/प्रशिक्षण–89/07–204 दिनांक 19.06.2008 की शेष सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

ह०/–
(सत्यनारायण)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 12/प्रशिक्षण–89/07 .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है क 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 12/प्रशिक्षण–89/07 .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, प्रा०शि०/मा०शि०/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, डायट/पी०टी०ई०सी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 12/प्रशिक्षण–89/07 .... पटना, दिनांक– ....
प्रतिलिपि–निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)/सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी सहायक प्रशाखा–12 एवं 20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 12/प्रशिक्षण–89/07 ......914...... पटना, दिनांक– ......16/12/2013......
प्रतिलिपि– श्री गौरव कान्त, आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/12/13
संयुक्त सचिव